न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **386/2024** दायर दिनाँक **29.11.2024**

वादी

1.नवरत्न शर्मा पुत्र प्रेमसुख जाति ब्राहम्ण निवासी रूंवा तहसील छोटीखाटू जिला डीडवाना – कुचामन राज0।

बनाम्

प्रतिवादी

1. तहसीलदार डीडवाना
2. अशोक कुमार पुत्र प्रेमसुख
3. आनन्दी पुत्री प्रेमसुख जातिगण ब्राहम्ण निवासीगण रूंवा तहसील छोटीखाटू
4. जसापुरी पुत्र गोविन्द पुरी
5. दिनेश पुरी पुत्र दयानन्दपुरी
6. बेबी पुत्री ओमपुरी जातिगण गुसाई निवासीगण रूंवा तहसील छोटीखाटू
7. मुन्नी बानों पत्नी अजीत खां जाति देशवाली निवासी खुनखुना
8. मोहनी देवी पत्नी रंगलाल जाति ब्राहम्ण निवासी रूंवा तहसील छोटीखाटू
9. रहमत पत्नी तारू खां जाति मुसलमान निवासी खुनखुना
10. राहुल पुरी पुत्र ओम पुरी
11. लिछमा देवी पत्नी गोविन्दपुरी जाति गुसाई
12. श्रवणलाल पुत्र प्रेमसुख जाति ब्राहम्ण
13. संतोष देवी पत्नी दयानन्दपुरी
14. सुनिता पुत्री दयानन्दपुरी जातिगण गुसाई निवासीगण रूंवा तहसील छोटीखाटू
15. शफीखां पुत्र भोलू खां जाति मुसलमान निवासी खुनखुना
16. सीता पुत्री प्रेमसुख जाति ब्राहम्ण निवासी रूंवा तहसील छोटीखाटू
17. आईसीआईसीआई बैंक लि. शाखा डीडवाना
18. आरएमजीबी शाखा खुनखुना

राजस्व–वाद बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

श्री मो. शरीफ शेरानी एडवोकेट वादी।

–:: **निर्णय** ::–

दिनाँक **20.04.2026**

Weas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 71 रकबा 0.0200 है. खसरा संख्या 72 रकबा 17.2600 है. सरहद ग्राम रूंवा पटवार हल्का सानियां में अवस्थित है। उक्त भूमि में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की भूल व सहवन से राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम नोरंगलाल पुत्र प्रेमसुख दर्ज कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम नवरत्न शर्मा पुत्र प्रेमसुख है तथा वादी का नाम सरकारी रेकर्ड में जिसमें आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिचय पत्र इत्यादि में वादी का नाम नवत्न शर्मा पुत्र प्रेमसुख अंकित है जो सही व सत्य है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में अशुद्ध नाम नोरंगलाल पुत्र प्रेमसुख दर्ज होने से वादी को अत्यधिक असुविधाओं का सामना करना पड रहा है। वादी के उपरोक्त खेत खसरा नम्बर की भूमि में अपना नाम नोरंगलाल पुत्र प्रेमसुख के स्थान पर नवरत्न शर्मा पुत्र प्रेमसुख दर्ज करवा कर राजस्व रेकर्ड को शुद्ध करवाना चाहता है। इस हेतु यह वाद पेश किया जा रहा है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः–

सरहद ग्राम रूंवा के खेत खसरा संख्या 71 रकबा 0.0200 है. खसरा संख्या 72 रकबा 17.2600 है. में दर्ज खातेदार नोरंगलाल पुत्र प्रेमसुख के स्थान पर नवरत्न शर्मा पुत्र प्रेमसुख राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने का निर्णय फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार छोटीखाटू के पत्र क्रमांक राजस्व / 2026 / 350 दिनांक 17.03.2026 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गंयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। वादी ग्राम रूंवा के खेत खसरा संख्या 71 रकबा 0.0200 है. खसरा संख्या 72 रकबा 17.2600 है. में दर्ज खातेदार नोरंगलाल पुत्र प्रेमसुख के स्थान पर नवरत्न शर्मा पुत्र प्रेमसुख दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है।

तहसीलदार छोटीखाटू की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम रूंवा के खसरा संख्या 71, 72 में राजस्व रेकर्ड के अनुसार नोरंगलाल पुत्र प्रेमसुख जाति ब्राहम्ण सा. देह सह खातेदारदर्ज है। जोकि विरासत के नामान्तकरण संख्या 617 दिनांक 05.06.08 के स्वीकृत होने से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। जबकि आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड व बैंक पासबुक आदि दस्तावेजों में इनका नाम नवरत्न शर्मा पुत्र प्रेमसुख अंकित है। नोरंगलाल पुत्र प्रेमसुख व नवरत्न शर्मा पुत्र प्रेमसुख जाति ब्राहम्ण दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। ग्राम में इस नाम` अन्य काई व्यक्ति नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड, तहसीलदार मौलासर से प्राप्त रिपोर्ट, विद्वान अभिभाषक की बहस के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

होने के कारण वादी के सही अंकन होने के कथन को स्वीकार किया जा सकता है। अतः वाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

मौजा सरहद ग्राम रूंवा के खेत खसरा संख्या 71 रकबा 0.0200 है. खसरा संख्या 72 रकबा 17.2600 है. में दर्ज खातेदार नोरंगलाल पुत्र प्रेमसुख के स्थान पर नवरत्न शर्मा पुत्र प्रेमसुख राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाता है।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **20.04.2026** को सरे इजलास सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना